5.3.21 पत्रावली पेश हुई। वकील उभयपक्ष उप०।
विद्वान वकील रेस्पो० ने तहत अदालत में पेश राजस्व वाद पत्र सं. 150/12 एवं संशोधित वाद पत्र तथा आदेशिका दि. 15.1.21 की प्रमाणित प्रति पेश निवेदन किया कि मूल वाद का निर्णय हो चुका है। इसलिये प्रस्तुत अपील प्रभावहीन हो चुकी है। अतः अपील प्रभावहीन होने के कारण खारिज की जावे।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया तथा प्रस्तुत प्रमाणित प्रतियों का भी अवलोकन किया। जिनके अवलोकन से सिद्ध है कि प्रकरण से संबंधित मूल वाद निस्तारित हो चुका है। ऐसी स्थिति में धारा 212 R.T. एक्ट की यह अपील इनफैक्चस (प्रभावहीन) हो चुकी है।

अतः अपील प्रभावहीन होने के कारण खारिज की जाती है।

पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो / दाखिल दफ्तर हो।

[signature]

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील अधिकारी, अलवर